तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, कम0 3 अजमेर** **फौजदारी अपील सख्या 589/2025** **श्रीमती आचू देवी बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.01.2026	अपीलार्थी/अभियुक्ता आचू देवी मय अधिवक्ता उपस्थित। अपर लोक अभियोजक उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 2 को नोटिस/तलबाना पेश होने पर तामील नियमानुसार जारी हो। धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित कारण के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्ता को आपराधिक **परिवाद प्रकरण संख्या 1318/2022 महेन्द्र गोयर बनाम आचू देवी में धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अपराध का दोषी पाकर 5 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया तथा 3,60,000/— रूपये, जिसमें से दौरान विचारण जमा कराई गई राशि 1,60,000 समायोजित कर शेष 2,00,000 रूपये प्रतिकर राशि के रूप में अधिरोपित किये गये है। प्रतिकर राशि अदा नहीं करने की सूरत में अभियुक्ता को अदम अदायगी प्रतिकर 15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास से, दण्डित किये जाने का आदेश प्रदान किया है।** अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपील के साथ ही धारा 430 बी.एन.एस.एस. के तहत सजा स्थगन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर सुना गया। अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थीया के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित दण्डादेश में पारित सजा को अपील के लम्बित रहने के दौरान स्थगित करवाना चाहा है। चूंकि अपील की सुनवाई में समय लगने की सम्भावना है। लिहाजा अपील में उठाए गए मुद्दों व अपील की सुनवाई में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 19.11.2025 के द्वारा अपीलार्थीया को दिए गए दण्डादेश को अपील के निस्तारण तक स्थगित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परकाम्य लिखित (संशोधित) अधिनियम 2018 की धारा 148 में प्रावधान किया गया है कि **''धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अपराध में दोषसिद्धी के विरूद्ध पेश की गई अपील में अपीलीय न्यायालय अपीलार्थी को विचारण न्यायालय के द्वारा अधिरोपित किये गये जुर्माने या क्षतिपूर्ति राशि का न्यूनतम बीस प्रतिशत राशि जमा करवाने के आदेश दे सकती है तथा उक्त जमा करवाई गई राशि अन्तरित क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त होगी।''** माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय (2007)6 सी. सी.सी. पेज 528 Dilip S. Dhankur vs Kotak Mahindra Co. Ltd and other में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय 2011 Cr.	

	L.J. 4577 Sudhir Kumar Bahuguna vs State & other तथा माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय रिट पीटीशन नम्बर 258/19 अजय, विनोदचन्द्र शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य के निर्णय दिनांक 14.03.2019 तथा माननीय पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय C.R.R. No. 9872/18 मैसर्स गिन्नी गारमेंट वगै, बनाम मैसर्स सेठी गारमेंट निर्णय दिनांक 04.04.2019 में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में अपीलार्थी का धारा 430 बी.एन.एस.एस. का प्रार्थना पत्र इन शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि— 1— यदि अपीलार्थी/अभियुक्ता आज से 30 दिवस के अन्दर 20,000/—(बीस हजार रूपये) का मुचलका एवं इसी राशि की एक संतोषप्रद जमानत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी संतुष्टि अनुसार इस आशय से पेश कर तस्दीक करा दे कि वह इस न्यायालय में अपील की सुनवाई के दौरान अपील के निस्तारण तक प्रत्येक पेशी पर एवं जब भी न्यायालय तलब करेगा, उपस्थित होती रहेगी, 2— अपीलार्थी/अभियुक्ता आज से 60 दिवस के अन्दर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के यहां आक्षेपित आदेशानुसार अधिरोपित प्रतिकर की शेष राशि 2,00,000/— रूपये की बीस प्रतिशत राशि का डी. डी/पे—ऑर्डर परिवादी के नाम का बनवाकर जमा करवा दे, तो विद्वान अधीनस्थ न्यायालय **विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या 03, अजमेर के दाण्डिक प्रकरण संख्या 1318/2022 महेन्द्र गोयर बनाम आचू देवी में दिनांक 19.11.2025 को पारित दण्डादेश की कियान्वति ता—फैसला अपील स्थगित की जाती है।** अपीलार्थीया के द्वारा उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त की अनुपालना करने में असफल रहने पर सजा स्थगन का यह आदेश प्रभावी नहीं रहेगा। परिवादी के द्वारा इस आशय का बन्धपत्र पेश करने पर कि यदि अपीलार्थी अपील में सफल रहा तो डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस अपीलार्थी/अभियुक्ता को अदा कर देगा, तो परकाम्य लिखत (संशोधित) अधिनियम 2018 की धारा 148 (3)(परन्तुक मे ंवर्णित प्रावधानों के अधीन) अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत किया गया डिमाण्ड ड्राफ्ट परिवादी को, फोटो प्रति रिकॉर्ड पर रखते हुए, बाद रसीद सुपुर्द कर दिया जावे। यदि परिवादी के द्वारा बन्धपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट की अवधि समाप्त हो जाती है तो यह माना जाएगा कि परिवादी यह राशि प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है तथा अवधि पार डिमाण्ड ड्राफ्ट बाद रसीद अपीलार्थी/अभियुक्ता को वापस लौटा दिया जावे। आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि तस्दीकशुदा जमानतनामा व मुचलका इस न्यायालय को प्रेषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब होवे। पत्रावली वास्ते बहस अपील हेतु दिनांक 06.03.2026 को पेश हो। **(नीरज गुप्ता)** **अपर सेशन न्यायाधीश,** **कम—3 अजमेर**	